उत्तर प्रदेश सरकार
औद्योगिक विकास विभाग-6

संख्या : 983/77-6-09/33(एम)/04 टी०सी०

लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2009

-: कार्यालय-ज्ञाप :-

शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है प्रदेश में ऐसी व्यवस्था सृजित की जाए जिसमें अवस्थापना/औद्योगिक/संपूर्ण सेवा क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि) की निवेश संबंधी समस्याओं का निदान **'एकल मेज व्यवस्था'** के अधीन किया जाए। अतएव औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उद्योगो के साथ-साथ सेवा क्षेत्र के उपक्रमों एवं अवस्थापकीय सुविधाये स्थापित कराये जाने संबंधी उपक्रमों की समस्याओं का निराकरण तथा अनुश्रवण राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों में किया जायेगा। इसी बैठक में अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ-साथ विभिन्न क्लीयरेंस की स्वीकृति एवं समीक्षा, नीतिगत् विषयक मामलों तथा विशिष्ट समस्याओं पर विचार कर निराकरण कराया जायेगा। इन बैठको में निम्नलिखित अधिकारियो को स्थाई आमत्री के रूप में नामित किया जाता है :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15. प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
16. प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
18. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
19. प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
20. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
21. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
22. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
23. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
24. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
25. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
26. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
27. प्रमुख सचिव, बेसिक (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

28. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम।
29. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0
30. मुख्य-कार्यपालक अधिकारी, यू0पी0 एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
31. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकस प्राधिकरण।

बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले विषय के स्वरूप को देखते हुए उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभाग के अधिकारियो को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जायेगा। बैठक के संयोजक अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु होगे। बैठक की अध्यक्षता प्रत्येक चार माह के अन्तराल पर मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से यह बैठक पूर्व में भी आयोजित की जा सकेगी।

राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठको में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कनफ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, उ0प्र0 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री एवं उ0प्र0 व्यापार प्रतिनिधि मंडल के दो-दो सदस्य आमंत्रित किये जायेंगे। यदि काई उद्यमी अपनी समस्या को बैठक में स्वयं प्रस्तुत करना चाहेंगे तो उन्हें भी बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

इस कार्यालय-ज्ञाप के माध्यम से औद्योगिक विकास विभाग-12 का कार्यालय ज्ञाप संख्या-1016/18-12-91, दिनांक 20.10.1997 को अतिक्रमित किया जाता है।

उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

(वी0के0 शर्मा)
अवस्थापना एवम्
औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या : 923(1)/77-6-09 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. परिषद के सभी सदस्यगण।
2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव।
3. उद्योग निदेशक, कानपुर।
4. उद्योग विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव/समस्त अनुभाग अधिकारी।
5. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
6. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से-

(कैप्टन एस0के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव

(39)

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग -12 [redacted]
संख्या 1016/18-12-97
लखनऊ: दिनांक: 20 अक्टूबर, 199[redacted]

कार्यालय-ज्ञाप

जारी

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि " राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु " की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक माह एक निर्धारित दिवस को आयोजित की जायेगी । इन बैठकों में निम्नलिखित अधिकारियों को स्थायी आमंत्री के रूप में रखा जायेगा :-

1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग
2- प्रमुख सचिव/ सचिव, लघु उद्योग विभाग
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
4- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग
5- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग
6- प्रमुख सचिव, श्रम विभाग
7- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग
8- प्रमुख सचिव, वन विभाग
9- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग
10- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग
11- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद

इन बैठकों में " कन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज" (सी.आई.आई.), पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, इण्डियन इण्डस्ट्रीज ऐसोसिएशन, ऐसोसिएटेड चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज आफ उत्तर प्रदेश, फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल के भी दो-दो सदस्य रखे जायेंगे। यदि कोई उद्योगपति अपनी समस्या को बैठक में स्वयं प्रस्तुत करना चाहेंगे तो उन्हें भी बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

बैठकों में प्रस्तुत होने वाले विषय के स्वरूप को देखते हुये अन्य विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया [illegible] कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु होंगे।

बैठक की अध्यक्षता एक माह में मा0 औद्योगिक विकास मंत्री जी द्वारा एवं अगले माह में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की जायेगी।

उक्त बैठकों में अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ-साथ विभिन्न क्लीरेन्स की स्वीकृति की समीक्षा, नीति विषयक मामलों तथा उद्योगों की विशिष्ट समस्याओं पर विचार किया जायेगा। बैठक के एजेण्डा बैठक से पर्याप्त समय पूर्व संबंधित विभागों को उपलब्ध करा दिया जायेगा ताकि संबंधित विभाग अपना मत स्थिर करके बैठक के पूर्व ही उद्योग बन्धु को अवगत करा सकें एवं बैठक में सार्थक विचार-विमर्श किया जा सके।

(बृजेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 1016(1)/18-12-97 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- परिषद के सभी सदस्यगण।
2- शासन के समस्त प्रमुख सचिव।
3- उद्योग निदेशक, कानपुर।
4- उद्योग विभाग के समस्त विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अनु सचिव/ समस्त अनुभाग अधिकारी।
5- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
6- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अरुण सिंघल)
विशेष सचिव।